लोकसभा

(Lok Sabha)

- लोकसभा की संरचना
- योग्यताएं एवं कार्यकाल
- अधिवेशन एवं संयुक्त अधिवेशन
- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
- लोकसभा : शक्तियाँ एवं कार्य
- निष्कर्ष

लोकसभा की संरचना : लोकसभा [illegible] का [illegible] या निम्न सदन है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा वास्तव में अधिक शक्तिशाली है [illegible] अर्थों में प्रायः [illegible] लोकसभा को ही लिया जाता है। इसी-लिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं।

सदस्य संख्या : मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी लेकिन समय-समय इसमें वृद्धि की गई। 31 वें संविधान संशोधन (1973) के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। [illegible] गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारे निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होंगे, अधिकतम 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकेंगे एवं 2 सदस्य मनोनीत होंगे। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या (530+20+2) 552 हो सकती है। वर्तमान समय में लोकसभा संख्या (530+13+2) यानी 545 है।

निर्वाचन : लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 61 वें संशोधन द्वारा (1989) 21 वर्ष की आयु 18 वर्ष कर दिया गया है। अब लोकसभा के सभी निर्वाचन [illegible] एकल सदस्यीय [illegible] गये हैं।

योग्यताएं :

(i) वह भारत का नागरिक हो।
(ii) उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो।
(iii) वह लाभ के पद पर आसीन न किया हो।
(iv) वह पागल या दिवालिया न हो।

अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन : लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया या स्थगित किया जा सकता है। इस संबंध में नियम यह है, लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह का अन्तर नहीं होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन असाधारण स्थिति विशेष स्थितियों में बुलाया जाता है।

कार्यकाल : लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व भंग किया जा सकता है।

लोकसभा के पदाधिकारी : अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्यागपत्र भेज सकते हैं। यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित हो जाये, लेकिन यह प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश होगा जब प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

लोकसभा की अध्यक्षता द्वारा पदत्याग, पदच्युति या अन्य किसी कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं।

लोकसभा की शक्तियाँ अथवा अधिकार और कार्य

भारतीय संसद के दोनों सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है उसके गठन का आधार जनसंख्या है। संसदीय शासन का यह सिद्धान्त है कि कानून निर्माण और शासन पर नियंत्रण की अन्तिम शक्ति लोकसभा को प्राप्त होती है। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है लेकिन लोकसभा संसद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। लोकसभा की शक्तियों एवं कार्यों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है-

(1) **विधायी शक्ति** : संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्य सभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं। और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जायेंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाये जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अन्तिम शक्ति लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा साधारण अवित्तीय विधेयक को 6 महीनों तक रोके रखने के अलावा और

Scanned with CamScanner

कुछ नहीं कर सकती है। व्यवहार में सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जाते रहे हैं।

(2) वित्तीय विधेयक : भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में प्रतिनिधि लोकसभा को ही प्रधानता दी गई है और इस क्षेत्र में राज्यसभा की स्थिति गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, राज्य सभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्य सभा में भेजा जाता है और राज्य सभा को वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अन्दर विधेयक लोकसभा को लौटाना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक पारित होने के बाद 14 दिन के अन्दर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना वित्त विधेयक लोकसभा को न लौटाये, तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जायेगा। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगें भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं और इस प्रकार समस्त व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है।

(3) कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति :

भारतीय संविधान द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिमंडल (व्यवहार में लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उनकी आलोचना कर सकते हैं। सरकारी विधेयक अथवा बजट अस्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई संशोधन करके जिससे सरकार सहमत नहीं अथवा निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है। वह उसके प्रस्ताव पास करके भी सरकारी नीति की गलतियों को प्रकाश में ला सकती है।

अन्तिम रूप में लोकसभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की रिपोर्ट पर विचार कर सकती है।

(4) संविधान संशोधन शक्ति : लोकसभा को राज्यसभा के समान ही संविधान में संशोधन-परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश

Scanned with CamScanner

भारत में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। इसमें आवश्यक है कि संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और प्रस्ताव पारित होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग, अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाए। संशोधन प्रस्ताव के संबंध में संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर प्रस्ताव अस्वीकार समझा जायेगा। संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) <u>निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य</u>: लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ तथा विधानसभाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा उन्हें पदच्युत भी कर सकती है।

(6) <u>जनता की शिकायतों का निवारण</u>: लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार तथा भावनायें सरकार तक पहुंचायी जाती हैं। लोकसभा के सदस्य गण इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। यदि सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर वास्तविक अध्ययन किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि लोकसभा उपर्युक्त कार्य करती है।

(7) <u>विविध कार्य</u>: लोकसभा कुछ अन्य कार्य भी करती है —

* लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है।
* उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्य सभा प्रस्ताव पास करे तो उस प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है।
* लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है।
* राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा को एक महीने के अन्दर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है अन्यथा एक महीने बाद समाप्त मान ली जाती है।
* यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा (Amnesty) देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

निष्कर्ष : लोकसभा के उपर्युक्त शक्तियों के आधार है कि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा भी संसद का सर्वोच्च अंग है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते लोकसभा सदस्य का मनोबल, शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व अधिक हैं। व्यावहारिक दृष्टि से लोकसभा को ही संसद कह दिया जाए तो अनुचित होगा। [illegible] उचित है कि, "यदि ब्रिटिश राज्य का सर्वोच्च अंग संसद है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। वस्तुतः लोकसभा ही संसद है।"

—— x

Girijesh Singh, Asst. Professor
Dept Political Science
R.N. College, Pandaul, Madhubani
Class - Deg II Paper III (Hons)
Topics: Lok Sabha
Date: 03/05/2020

(2) Deg II (Hon/Sub) - II Paper

Scanned with CamScanner